-प्रेस नोट-

दिनांक 21.12.2025

□ ATM ठगी गिरोह पर शिकंजा□

थाना मण्डी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, ₹3000 नकद व 03 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2025 को वादिया मनीषा पत्नी अंकुर निवासी बहेड़ी गुर्जर थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखे से वादिया का एटीएम कार्ड बदलकर वादिया के खाते से 40,000/- निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0- 326/25 धारा- 318(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.12.2025 को गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण ***1.टीनू पुत्र चन्द्रबॉस 2. सुमित पुत्र मित्रपाल 3. संजय पुत्र अमरसिंह निवासीगण निकट रविदास मन्दिर ग्राम चंदपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर*** *को मण्डी समिति में कूडाघर के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 03 नाजायज चाकू व 3000/- रुपये नगद बरामद हुए।* ***बरामद रुपयो के सम्बन्ध मे थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0- 326/25 धारा- 318(4) बीएनएस पंजीकृत है।*** *गिरफ्तारी व 03 नाजायज चाकू की बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- 553/25 धारा- 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 01.11.2025 को हम तीनो ने कस्बा गागलहेडी में भगवानपुर तिराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैक के एटीएम से एक महिला से उसके एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड को चालाकी से बदलकर उसका एटीएम पिन याद करकर दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया था और हम तीनो ने उस एटीएम कार्ड से छुटमुलपुर में जाकर एक एटीएम से 40,000/- रूपये निकाल लिये थे तथा एटीएम कार्ड को रास्ते में तोडकर फेक दिया था तथा रूपये हमने आपस में बाट लिये थे और अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिए है। जिनमे से हमारे पास 3000/- रूपये बचे है। जो चाकू हम लोगो से बरामद हुए है उन्हे हम लोगो मे अपना रोब गालिब व डराने धमकाने के लिये अपने पास रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *टीनू पुत्र चन्द्रबॉस निवासी निकट रविदास मन्दिर ग्राम चंदपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।*
2. *सुमित पुत्र मित्रपाल निवासी निकट रविदास मन्दिर ग्राम चंदपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।*
3. *संजय पुत्र अमरसिंह निवासी निकट रविदास मन्दिर ग्राम चंदपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण-

- ***03 चाकू नाजायज*** *(सम्बन्धित मु0अ0सं0- 553/25 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर)*
- ***3000/- रुपये नगद*** *(सम्बन्धित मु0अ0स0- 326/25 धारा- 318(4) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर)*

अभियुक्त टीनू का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0- 116/21 धारा- 379/411/420 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0- 326/25 धारा- 318(4) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 553/25 धारा- 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।

अभियुक्त सुमित का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0- 178/22 धारा- 379/411/420 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0- 06/22 धारा- 379/411 भादवि व 66(C) थाना साईबर पुलिस थाना सहारनपुर।
3. मु0अ0स0- 242/25 धारा- 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर।
4. मु0अ0स0- 326/25 धारा- 318(4) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0- 553/25 धारा- 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।

अभियुक्त संजय का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0- 06/22 धारा- 379/411 भादवि व 66(C) थाना साईबर पुलिस थाना सहारनपुर।
2. मु0अ0स0- 242/25 धारा- 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर।
3. मु0अ0स0- 220/23 धारा- 308/323/504/506 भादवि थाना बडगांव सहारनपुर।
4. मु0अ0स0- 260/22 धारा- 379/411/420 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0स0- 268/22 धारा- 414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. मु0अ0स0- 326/25 धारा- 318(4) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0- 553/25 धारा- 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री रोजन्त त्यागी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 विकास चारण थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
4. है0का0 256 अनिल कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
5. का0 2358 तरुण कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
6. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21-12-2025

थाना नांगल पुलिस व सर्विलांस की सयुक्त टीम द्वारा ट्रैक्टर व मकान मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार,कब्जे से चोरी किया 01 ट्रैक्टर,नगदी व जेवरात बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.12.2025 को वादी श्री विपिन कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र मामचन्द नि0 ग्राम शीतलाखेडा थाना नागल सहारनपुर द्वारा की तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के मकान के अन्दर रखी अलमारी मे रखे सोने-चाँदी के जेवरात व 20000/- रुपये व ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 रंग लाल को भी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 404/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया था । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व मे नागल पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 20.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर निर्माणाधीन हाईवे ग्राम पहाडपुर के पास से अभि0गण **1. अभिषेक पुत्र कल्लू उर्फ जयकुमार निवासी ग्राम शीतलाखेडा थाना नागल जिला सहारनपुर 2. रवि यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी ग्राम मिश्रोली थाना गोरीगंज जिला अमेठी हाल पता चोली थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 रंग लाल, 02 जोडी पायल सफेद धातु व 02 जोडी बिछिया सफेद धातु तथा 1280/- रुपये नगद बरामद हुए। एक अभियुक्त अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणो से पूछताछ करने पर दोनो अभि0गण ने बताया गया कि हम लोग मिलकर घरो मे चोरी करते है उसको आपस मे बराबर-बराबर बांट लेते है। दिनाँक 11.12.25 की रात्रि मे हम तीनो ने मिलकर ग्राम शीतलाखेडा मे एक घर मे शादी होने के कारण उसके घर मे चोरी करने की योजना बनाई थी । योजना के मुताबिक हम तीनो ने रात मे उस घर मे घुसकर कमरे मे रखी अलमारी को तोडकर घर की अलमारी से सोने-चाँदी के जेवरात व 20000/- रुपये नगद चोरी किये थे योजना के मुताबिक सारे माल की चोरी नही कर पाये थे, जिस कारण हम ट्रैक्टर को चोरी कर ले गये थे । ट्रैक्टर मे डीजल कम होने के कारण हमने उसे गन्ने के खेत मे छिपाकर खडा कर दिया था । बीती रात मौका पाकर ट्रैक्टर व जेवरात को बेचने के उद्देश्य से हम तीनो ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे थे कि पुलिस को सामने देख हमारा साथी मौके से भाग गया तथा पुलिस मे हम दोनो के पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अभिषेक पुत्र कल्लू उर्फ जयकुमार निवासी ग्राम शीतलाखेडा थाना नागल जिला सहारनपुर
2. रवि यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी ग्राम मिश्रोली थाना गोरीगंज जिला अमेठी हाल पता चोली थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरणः-

- 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 रंग लाल
- 02 जोडी पायल सफेद धातु
- 02 जोडी बिछिया सफेद धातु
- 1280/- रुपये नगद

अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0सं0 560/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-</u>

1. *थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल सहारनपुर*
2. *निरी0 श्री संतोष कुमार त्यागी प्रभारी सर्विलांस सैल सहारनपुर*
3. *उ0नि0 सुशील कुमार थाना नागल सहारनपुर*
4. *उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर*
5. *है0का0 1006 तरुण कुमार थाना नागल सहारनपुर*
6. *है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर*
7. *है0का0 1284 धर्मेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर*
8. *का0 2398 अमरजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर*
9. *का0 38 विक्रन्त तेवतिया थाना नागल सहारनपुर*
10. *है0का0 1189 नितिन त्यागी सर्विलांस सैल सहारनपुर*
11. *का0 जयवीर राठी सर्विलांस सैल सहारनपुर*

दिनांक: 21.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 बैटरा, 01 नाजायज चाकू व 2250/- रुपये नकद बरामद

घटना का विवरणः-

1. **दिनांक 30.10.2025** को वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के महिन्द्रा 265 ट्रेक्टर से एक बैटरा हिच व एक हाईड्रोली की पट्टी चोरी कर ले जाने के संबंध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 264/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
2. **दिनांक 20.11.25 को** वादी की तहरीर पर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा मस्जिद मे बने वादी के कमरे मे रखी अलमारी का ताला तोडकर 5000 रुपये निकालने एवं मस्जिद मे रखे दानपात्र को फाडकर उसमे से लगभग 5500 से 6000 रुपये तक की रकम निकाल ले जाने के संबंध मे थाना नानौता पर मु0अ0सं0 292//25 धारा 305(ए) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटानओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.12.2025 को उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त **शाहीद पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को रुहाडा पुलिया से आगे नाले की पटरी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 बैटरा, 01 नाजायज चाकू व 2250/- रुपये नकद बरामद हुए। अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0सं0 329/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं मु0अ0सं0 264/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 292//25 धारा 305(ए) बीएनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से **माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

शाहीद पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त—

मु0अ0सं0 221/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- **01 बैट्रा** (संबंधित मु0अ0सं0 264/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस)
- **2250/- रुपये नकद** (संबंधित मु0अ0सं0 292/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)
- **01 चाकू नाजायज**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 रोहताश थाना नानौता, जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 823 नीरज सिंह, थाना नानौता, जनपद सहारनपुर।
3. का0 2032 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक: **21.12.2025**

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.12.2025 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त ***योगेश उर्फ युवराज पुत्र हिम्मतसिंह निवासी मानकमऊ सोसायटी के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर*** *को अम्बाला रोड नहर की पटरी शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर* ***मु0अ0सं0*** *558/2025 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

योगेश उर्फ युवराज पुत्र हिम्मतसिंह निवासी मानकमऊ सोसायटी के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- *01 अदद चाकू नाजायज*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *उ0नि0 श्री कुलवन्त मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 1913 राजन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 21.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वाँछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.12.2025 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 536/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त ***सलमान पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला खाताखेडी निकट भूरे वाली मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *मौहल्ला खाताखेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सलमान पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला खाताखेडी निकट भूरे वाली मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0- 18/25 धारा- 3/5/5ए/8 गौवध अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0- 536/25 धारा- 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.12.2025

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 11.10.2025 को वादी श्री मनीष सेठ पुत्र भूषण सेठ निवासी सांपला रोड कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर एक फर्जी बैनामा किसी और के प्लाट का वादी के नाम कर देना व वादी से 15 लाख रूपये हडप लेना व वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना व वादी को छूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने के सम्बध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-835/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2),115(2),352,351(2) बीएनएस बनाम आसमा आदि 06 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये। जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता **आसमा पत्नि इस्तकार नि0 मौ0 पठानपुरा रेती चौक थाना देवबन्द सहारनपुर** को मौहल्ला पठानपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः-

आसमा पत्नि इस्तकार नि0 मौ0 पठानपुरा रेती चौक थाना देवबन्द सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुधा रानी थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. म0है0का0 1223 बबीता थाना देवबन्द सहारनपुर।
4. है0का0 1124 राहुल थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।